GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A Gr.II)

No. F.1(3)DOP/A-2/91 Jaipur, dated: 27.09.2013

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Animal Husbandry Service Rules, 1963, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Animal Husbandry Service (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 01.01.2006.

2. Amendment of rule 4.- In sub-rule (1) of rule 4 of the Rajasthan Animal Husbandry Service Rules, 1963, herein after referred to as the said rules,-

(i) the existing clause (iii) shall be substituted by the following, namely:-

"(iii) No transfer or interchangeability of persons or posts from one Section to another Section shall be permissible except in Junior Gr. II posts."

(ii) the existing clause (iv) shall be substituted by the following, namely:-

"(iv) promotion to posts in Junior Grade-I in different sections shall be made separately and candidates shall be required to state their preference at the time of promotion and they shall be allotted to various sections in order of their merit or seniority, as the case may be, but appointment to senior grade posts shall be made separately in the specific section for which one qualified under these rules."

(iii) after the existing clause (v), the following new clause (vi) shall be added, namely:-

"(vi) The Poultry section and Animal Breeding and Genetics Section shall stand merged in the Veterinary and Animal Husbandry Section, with effect from 01.01.2006."

3. Amendment in rule 27.- After the existing proviso (12) to rule 27 of the said rules, the following new proviso (13) shall be inserted, namely:-

"(13) that after the merger of the Poultry Section and Animal Breeding and Genetic Section into Veterinary and Animal Husbandry Section, the inter-se seniority of persons covered under clause (vi) of sub-rule (1) of rule 4 shall be determined from the date of their regular selection on the post in respective section, if the date of regular selection of such persons is the same, then the seniority inter-se shall be determined on the basis of date of their regular selection on the lower post in the cadre."

4. Amendment of Schedule A.- (1) In the Schedule-A appended to the said rules, under heading "VETERINARY AND ANIMAL HUSBANDRY WING",-

(i) under sub-head SELECTION GRADE POSTS of ADMINISTRATIVE SECTION, the existing entries in column 6 against serial number 3 shall be substituted by the following, namely:-

"Three years' experience on the post mentioned in column 4"

(ii) under sub-head SELECTION GRADE POSTS of ADMINISTRATIVE SECTION, the existing entries in column 6 against serial number 4 shall be substituted by the following, namely:-

"Three years' experience on the post mentioned in column 4"

(iii) under sub-head SENIOR GRADE POST of VETERINARY AND ANIMAL HUSBANDRY SECTION, the existing serial number 1 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

1.	Deputy Director	100% by promotion	Assistant Director/ Senior Veterinary Officer (Posts in Junior Grade-I in this Section)	Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry or it's equivalent from a recognized University.	Five years' experience on the post of Assistant Director/Senior Veterinary Officer.	-	-	-	-

"

(iv) under sub-head JUNIOR GRADE-I POST of VETERINARY AND ANIMAL HUSBANDRY SECTION, the existing serial number 1 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

1.	Assistant Director/ Senior Veterinary Officer	100% by promotion	Veterinary Officer	Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry or it's equivalent from a recognized University. OR Post graduate degree in any branch of Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognized University	8 years' experience on the post mentioned in column 4. 5 years' experience on the post mentioned in column 4.	-	-	-	The post of Sheep & Goat Development Officer will be re-designated as Assistant Director/ Senior Veterinary Officer and the post of Sheep & Wool Extension Officer shall be re-designated as Veterinary Officer.

"

(v) the existing sub-head JUNIOR GRADE-II POST of VETERINARY AND ANIMAL HUSBANDRY SECTION and entries thereto shall be deleted.

(vi) for the existing sub-head "JUNIOR GRADE-III POST" of VETERINARY AND ANIMAL HUSBANDRY SECTION, the sub-head "JUNIOR GRADE-II POST" and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"JUNIOR GRADE-II POST

1.	Veterinary Officer	100% by direct recruitment				Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry or it's equivalent from a recognized University.	-	37 years	the post of Sheep & Wool Extension Officer shall be re-designated as Veterinary Officer.

"

(vii) the existing "Animal Breeding and Genetics Section" including Senior Grade, Junior Grade-I, II and III and entries thereto shall be deleted.

(viii) the existing "POULTRY SECTION" including Senior Grade, Junior Grade-I, II and III and entries thereto shall be deleted.

(ix) under sub-head JUNIOR GRADE-I POST of SPECIALISTS SECTION, the existing serial number 1 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

1.	Assistant Director/ Senior Veterinary Officer	100% by promotion	Veterinary Officer	Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry or it's equivalent with post graduate degree in Veterinary Bacteriology/ Virology/ Microbiology/Pathology from a University established by law in India.	5 years' experience on the post mentioned in column 4.	-	-	-	-

"

(x) the existing sub-head JUNIOR GRADE-II POST of SPECIALISTS SECTION and entries thereto shall be deleted.

By order and in the name of the Governor,

(Dinesh Yadav)

Joint Secretary to the Government

67/2013

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं. एफ. 1(3)डीओपी/ए–II/92 जयपुर, दिनांक : 27.09.2013

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** .– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पशुपालन सेवा (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये 01.01.2006 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. **नियम 4 का संशोधन** .– राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 4 के उप–नियम (1) में, –

(i) विद्यमान खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(iii) व्यक्तियों या पदों का एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानान्तरण या अदला–बदली कनिष्ठ ग्रेड II के पदों के सिवाय अनुज्ञात नहीं की जायेगी।"

(ii) विद्यमान खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(iv) विभिन्न अनुभागों में कनिष्ठ ग्रेड–I के पदों पर पदोन्नति पृथक् रूप से की जायेगी और अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे पदोन्नति के समय अपनी अधिमानता बतायें और उन्हें उनकी योग्यता या, यथास्थिति, वरिष्ठता के क्रम में विभिन्न अनुभाग आबंटित किये जायेंगे, किन्तु वरिष्ठ ग्रेड के पदों पर नियुक्ति विनिर्दिष्ट अनुभाग में, जिसके लिए वह नियमों के अधीन अर्हित है, पृथक् रूप से की जायेगी।"

(iii) विद्यमान खण्ड (v) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (vi) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(vi) कुक्कुट पालन अनुभाग और पशु प्रजनन तथा आनुवंशिकी अनुभाग 01.01.2006 से पशु–चिकित्सा और पशुपालन अनुभाग में विलीन हो जायेंगे।"

3. नियम 27 में संशोधन .– उक्त नियमों के नियम 27 के विद्यमान परन्तुक (12) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक (13) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(13) कुक्कुट पालन अनुभाग और पशु प्रजनन तथा आनुवंशिकी अनुभाग के पशु–चिकित्सा और पशुपालन अनुभाग में विलयन के पश्चात् नियम 4 के उप–नियम (1) के खण्ड (vi) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनके संबंधित अनुभाग में पद पर उनके नियमित चयन की तारीख से अवधारित की जायेगी, यदि ऐसे व्यक्तियों के नियमित चयन की तारीख एक ही है तो पारस्परिक वरिष्ठता संवर्ग में निम्नतर पद पर उनके नियमित चयन की तारीख के आधार पर अवधारित की जायेगी।"

4. अनुसूची क का संशोधन .– (1) उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची–क में शीर्ष **"पशु–चिकित्सा और पशुपालन विंग"** के अधीन, –

(i) **प्रशासनिक अनुभाग** के उप–शीर्ष **चयनित ग्रेड के पद** के अधीन क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ 6 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"स्तम्भ 4 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव"

(ii) **प्रशासनिक अनुभाग** के उप–शीर्ष **चयनित ग्रेड के पद** के अधीन क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तम्भ 6 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"स्तम्भ 4 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव"

(iii) **पशु–चिकित्सा और पशुपालन अनुभाग** के उप–शीर्ष **वरिष्ठ ग्रेड के पद** के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"

1	उप निदेशक	100% पदोन्नति द्वारा	सहायक निदेशक / वरिष्ठ पशु–चिकित्सा अधिकारी (इस अनुभाग में के कनिष्ठ ग्रेड–I के पद)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु–चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक डिग्री या उसके समतुल्य	सहायक निदेशक / वरिष्ठ पशु–चिकित्सा अधिकारी के पद पर पांच वर्ष का अनुभव	–	–	–	–

"

(iv) **पशु–चिकित्सा और पशुपालन अनुभाग** के उप–शीर्ष **कनिष्ठ ग्रेड–I के पद** के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"

1.	**सहायक** निदेशक /वरिष्ठ पशु– चिकित्सा अधिकारी	100% पदोन्नति द्वारा	**पशु–चिकित्सा** अधिकारी	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु–चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक डिग्री या उसके समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु–चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन की किसी भी शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री	**स्तम्भ 4 में** उल्लिखित पद पर 8 वर्ष का अनुभव **स्तम्भ 4 में** उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	–	–	–	भेड़ और बकरी विकास अधिकारी का पद सहायक निदेशक/वरिष्ठ पशु–चिकित्सा अधिकारी के रूप में पुनः पदाभिहित किया जायेगा तथा भेड़ और ऊन विस्तार अधिकारी का पद पशु–चिकित्सा अधिकारी के रूप में पुनःपदाभिहित किया जायेगा।

"

(v) **पशु–चिकित्सा और पशुपालन अनुभाग** के विद्यमान उप–शीर्ष **कनिष्ठ ग्रेड–II के पद** और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

(vi) **पशु–चिकित्सा और पशुपालन अनुभाग** के विद्यमान उप–शीर्ष **कनिष्ठ ग्रेड–III के पद** के स्थान पर उप–शीर्ष **"कनिष्ठ ग्रेड–II के पद"** और उसकी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :–

"कनिष्ठ ग्रेड–II के पद

1.	पशु–चिकित्सा अधिकारी	100% पदोन्नति द्वारा				किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु–चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक डिग्री या उसके समतुल्य	–	37 वर्ष	भेड़ और ऊन विस्तार अधिकारी का पद पशु–चिकित्सा अधिकारी के रूप में पुनःपदाभिहित किया जायेगा।

"

(vii) विद्यमान **"पशु प्रजनन और आनुवंशिकी अनुभाग"** साथ ही **वरिष्ठ ग्रेड, कनिष्ठ ग्रेड–I, II और III** तथा उनकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

(viii) विद्यमान **"कुक्कुट पालन अनुभाग"** साथ ही **वरिष्ठ ग्रेड, कनिष्ठ ग्रेड–I, II और III** तथा उनकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

(ix) **विशेषज्ञ अनुभाग** के उप–शीर्ष **कनिष्ठ ग्रेड–I के पद** के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"

1	सहायक निदेशक / वरिष्ठ पशु–चिकित्सा अधिकारी	100% पदोन्नति द्वारा	पशु–चिकित्सा अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु–चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में डिग्री या उसके समतुल्य साथ ही पशु–चिकित्सा जीवाणु विज्ञान / विषाणु विज्ञान / सूक्ष्मजीव विज्ञान / रोग विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री।	स्तम्भ 4 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	–	–	–	–

"

(x) **विशेषज्ञ अनुभाग** का विद्यमान उप–शीर्ष **कनिष्ठ ग्रेड–II के पद** और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(दिनेश यादव)

संयुक्त शासन सचिव

67/2013

3(4)/3019